सं.ए.34012/2251/2018/एम.एफ.सीजीए(ई)/621

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग

महालेखा नियंत्रक

महालेखा नियंत्रक भवन, आईएनए

नई दिल्ली

दिनांक: 20th सितम्बर 2018

सेवा में,
प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
सभी मंत्रालय/विभाग
नई दिल्ली।

विषय: अवर श्रेणी लिपिक की लेखाकार के रूप में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (लेखाकार और वरिष्ठ लेखाकार समूह 'सी' पद) भर्ती नियमावली, 2010 के नियम 5(3) के अंतर्गत अवर श्रेणी लिपिक की लेखाकार के रूप में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, परीक्षा हॉल की उपलब्धता के आधार पर, 23.12.2018 को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

2. केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने 31.03.2018 को इस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा अर्जित की हो,इस परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य हैं। न्यूनतम तीन साल की सेवा की शर्त को कम करने का कोई भी अनुरोध इस कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए:

(i) नियम 5(3) के अंतर्गत तीन वर्ष की सेवा की गणना करते समय तदर्थ सेवा को शामिल नहीं किया जाता है।

(ii) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो एकपक्षीय आधार पर अन्य सेवाओं से स्थानांतरित होकर सीसीएएस में शामिल हुए हैं, के मामलों में सेवा की गणना सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के द्वारा ऐसे स्थानांतरण को नियमित करने की तारीख से की जायेगी।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/ मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित पात्र अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को संलग्न प्रोफार्मा में 18 अक्टूबर, 2018 तक भेज दी जाए। ***सूची की एक सॉफ्ट प्रति (एक्सेल फॉर्मेट में)** <u>pariksha-cga@gov.in</u> **को उपलब्ध कराई जाए।***

4. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक द्वारा विधिवत अनुमोदित अभ्यर्थियों की समेकित सूची प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा अग्रेषित की जाए।

5. चूंकि परीक्षा सामान्य तौर पर देश में स्थित विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाती है, इसलिए सभी केंद्रों में एक साथ परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था मंत्रालय/विभाग द्वारा नामित अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाए। 18 अक्टूबर, 2018 के बाद प्राप्त होने वाले नामांकन इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।

भवदीया

(डॉ ऋचा पाण्डेय)
सहायक महालेखा नियंत्रक (परीक्षा)
फोन नंबर: 011-24665522

संलग्न: उपरलिखित

सीजीए की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आई.टी) को अग्रेषित की गई प्रतिलिपि।

राजेन्द्रन नायर 26.9.2018 व. लै. अ (प)

अवर श्रेणी लिपिक की लेखाकार के रूप में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए प्रोफार्मा

....मंत्रालय

क्र. सं.	नाम	योग्यता	तैनाती का स्थान	सीसीएएस में नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्ति की तारीख	परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी/हिंदी(प्रश्नपत्र II और प्रश्न पत्र III दोनों के लिए लागू)	श्रेणी	क्या पीएच/वीएच है?	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थियों के विवरण सही हैं और मैं इस बारे में सन्तुष्ट हूँ कि प्रत्येक अभ्यर्थी सीसीएएस(लेखाकार और वरिष्ठ लेखाकार) भर्ती नियमावली, 2010 में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक

टिप्पणी: किसी अन्य सेवा से स्थानान्तरित अभ्यर्थियों के मामले में स्थानांतरण आदेश का उल्लेख किया जाए।